फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम गणपति गृह नि0 वगै0

संख्या: 19/2013

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.01.2024	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपनी बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम दयालपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 55, 56, 62, 63 कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35, 36, 37, 38, 39, 49/994, 53, 54 कुल किता 8 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73 कुल किता 11 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49, 50, 51, 52 कुल किता 4 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34/3 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34/4 रकबा 0.45 हैक्टेयर के सम्बन्ध में धारा 175, 176 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 है, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर के समक्ष वर्ष 1994 में उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कृषि उपयोग से अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर ने अपनी आज्ञा दिनांक 04.07.1994 के माध्यम से उक्त उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया गया। भू–रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवासीय कॉलोनी सृजित की जाकर पट्टे जारी किये गये है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प 8 (ग) ( ) नियम/ डीएलबी/2017/17639 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख किया है कि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सोसायटी, संस्था, कम्पनी के पक्ष में किये अन्तरणों को वैध किया गया है, ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175, 176 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7, 10 लगायत 12 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.07 15:51:3
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम गणपति गृह नि0 वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 19/2013

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावें। बहस अप्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा धारा 175, 176 एवं 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के प्रावधान के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 को प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वादग्रस्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के सदस्य व्यक्ति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था इत्यादि को किसी प्रकार के विक्रय दान वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उक्त भूमि किस्म को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नही करे। अप्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रार्थना के साथ कृषि भूमि से अकृषि का भू–रूपान्तरण आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जो वर्ष 1994 में ही किया जा चुका है जिसकी पुष्टि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से भी स्पष्ट है, वादग्रस्त भूमि की किस्म रूपान्तरण होने के पश्चात् परिवर्तन की जा चुकी है। उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण उक्त भूमि के खातेदारों द्वारा स्वयं द्वारा प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर करवा गया, इसके पश्चात् ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टे जारी किये गये है। अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2017 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें विशेष तौर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति विशेष के लिए जारी किया गया है जिसमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि 17.06.1999 से पूर्व अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा सोसायटी, संस्था, कम्पनी के पक्ष में किये अन्तरण/हस्तान्तरण वैध है। अप्रार्थी द्वारा यह आपत्ति की है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों के [illegible] पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में जा[illegible]र तामिल कुनिन्दा रिपोर्ट अंकित [illegible] व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 की मृत्यु हो [illegible] द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना साबित है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तु[illegible]आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम गणपति गृह नि0 वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 19/2013

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		धारा 175, 176 सपठित धारा 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested